



Neutral Citation No. - 2026:AHC:174435

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या -
7023/2026

लाल बिहारी

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता	:	यादवेश यादव
विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1- इस न्यायालय ने दिनांक 17.07.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

"1. विद्वान ए.जी.ए. ने कहा कि उन्हें निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने पूर्ण निर्देश प्राप्त करने और प्रति-शपथपत्र दाखिल करने के लिए अल्प समय दिए जाने की प्रार्थना की है।

2. प्रार्थना के अनुसार, विद्वान ए.जी.ए. को प्रति-शपथपत्र दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है।

3. दिनांक 24.07.2026 को नवीन वाद के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

4. अगली सूचीबद्धता की तिथि तक, आवेदक-लाल बिहारी की गिरफ्तारी की स्थिति में, जो मुकदमा अपराध संख्या 01 सन् 2021, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477-ए, 120-बी, 34 भा.दं.सं., थाना-वाराणसी सेक्टर (ई.ओ.डब्ल्यू.), जनपद-वाराणसी में सम्मिलित है, उसे निम्नलिखित शर्तों के साथ थाना प्रभारी, संबंधित थाना/न्यायालय की संतुष्टि पर



समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतें प्रस्तुत करने पर अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

- (i)- आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और जब तक संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी गई हो, निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;
- (ii)- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके;
- (iii)- आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (iv)- आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
- (v)- आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा;

5. किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।"

2- आज, जब प्रकरण पुकारा गया, विद्वान ए.जी.ए. ने कहा कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो गए हैं। तथापि, विद्वान ए.जी.ए. ने कोई प्रति-शपथपत्र दाखिल नहीं किया है।

3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त फूलगन फूलगेन बौद्ध को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत संख्या 2905 सन् 2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक का प्रकरण समान आधार पर है। विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रकरण में पूर्व में पारित आदेश पर भी भरोसा किया है और तर्क दिया है कि आवेदक, जो अंतरिम अग्रिम जमानत पर है, ने उसकी शर्तों एवं निबंधनों का उल्लंघन नहीं किया है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि यद्यपि कुछ अभियुक्तों के अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिए गए हैं, तथापि आवेदक का प्रकरण फूलगन फूलगेन बौद्ध के समान आधार पर है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक को एफ.आई.आर. में नामित नहीं किया गया था और विवेचना के दौरान उसका नाम प्रकट हुआ है।



4- विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि, इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि आवेदक का प्रकरण सह-अभियुक्त फूलगन फूलगेन बौद्ध के समान आधार पर है।

5- मैंने पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6- आवेदक अंतरिम अग्रिम जमानत पर है और उसके द्वारा उसका दुरुपयोग किया जाना नहीं कहा गया है। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त फूलगन फूलगेन बौद्ध को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक को एफ.आई.आर. में नामित नहीं किया गया था और उसके किसी आपराधिक पूर्ववृत्त होने की सूचना नहीं है। प्रश्नगत घटना वर्ष 2004-05 से संबंधित है। एफ.आई.आर. वर्ष 2021 में विलंब से दर्ज की गई है।

7- जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8- आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत एतद्वारा पुष्ट की जाती है। उपर्युक्त उल्लिखित प्रकरण में आवेदक-लाल बिहारी की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे दिनांक 17.07.2026 के पूर्व आदेश में निर्धारित उन्हीं शर्तों एवं निबंधनों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।

9- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के विनिश्चय के लिए हैं और उन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

18 अगस्त, 2026

कुशल

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)